

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-36 / 2020 - 3477

/ पटना, दिनांक- 21/9/2020

प्रेषक,

संजय दुबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 के अधीन करगहर प्रखंड के करगहर रीवा पथ (अवशेष कार्य) निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 6.00 कि0 मी0 निर्माण की राशि रु0 428.879 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु0 35.421 लाख अर्थात् कुल राशि 464.300 लाख (चार करोड़ चौसठ लाख तीस हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के रोहतास जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 के अधीन करगहर प्रखंड के करगहर रीवा पथ (अवशेष कार्य) निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 6.00 कि0 मी0 निर्माण की राशि रु0 428.879 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु0 35.421 लाख अर्थात् कुल राशि 464.300 लाख (चार करोड़ चौसठ लाख तीस हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी रो प्रावैदिक रवीकृति प्राप्त कर न। जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड़ ऋण सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध रखीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्ट कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सासाराम एवं गुरुख अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-1 यह रुनिश्चित करेंगे कि राह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत रखीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0, रा0 यो0-03-36 / 2020 के पृ0 सं0-05 / टि0 पर दिनांक 10.09.2020 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-36 / 2020 के पृ0 सं0-07 / टि0 पर प्राप्त है।

21/9/2020

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुरांगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरश: पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुरांगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो० ०३-३६/२०२० के पृ० सं-०९/टि० पर दिनांक १५-९-२०२० को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को समय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDI के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अगुणोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही रद्दीकृति हेतु नायरु को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

८
२१९१८०२०

(राज्य संघ)
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो०-०३-३६/२०२० - ३४७७

/पटना, दिनांक-२१/९/२०२०

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८
२१९१८०२०
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो०-०३-३६/२०२० - ३४७७

/पटना, दिनांक-२१/९/२०२०

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८
२१९१८०२०
अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० ३०-४ (मु०) रा० यो०-०३-३६/२०२० - ३४७७

/पटना, दिनांक-२१/९/२०२०

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान रायित, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण बृल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/उप विकास, आयुक्त रोहतास/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-१, पटना ग्रा० का० वि०/मु० ३०-४ (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, सासाराम-१/मुख्य महाप्रबंधक, नाबाड़, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉर्टवी मॉजेल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने से दूसरे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८
२१९१८०२०
अपर सचिव